

दिनांक ::लखनऊ:: फरवरी 7 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय:- अधिक जमा कर की धनराशि को अगले टैक्स पीरियड में अपंजीकृत से की गई माल की खरीद पर देय कर के विरुद्ध समायोजित / रिफण्ड करने के संबंध में ।

उक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-वैट अनुभाग-प्रचार प्रसार/07-08/666/ वाणिज्य कर दिनांक 10 मार्च, 2008 एवं इस क्रम में पुनः स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्गत पत्र संख्या-विधि-4(1)-परिपत्र भाग-2-(10-11) 1318/1011052/ वाणिज्य कर दिनांक 14-10-2010 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके अर्न्तगत अपंजीकृत से माल की खरीद करने पर खरीद पर देय कर को अग्रेनीत इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि से समायोजित करने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

2- उक्त परिपत्र जारी होने के बाद इस आशय की जानकारी प्राप्त हो रही है कि कतिपय स्थानों पर आईटी0सी0 त्रुटिपूर्ण ढंग से क्लेम की जा रही है । अतः इस सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की जा रही है :-

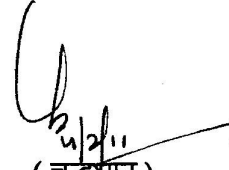
3- उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 2(p) के अर्न्तगत इनपुट टैक्स को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार इनपुट टैक्स ऐसे समग्र कर की धनराशि है जो, (1) ऐसे पंजीकृत व्यवहारी द्वारा जो माल की खरीद के संबंध में, ऐसे माल की पंजीकृत बिक्रेता व्यवहारी को संदत्त या संदेय हो और (2) जहाँ क्रेता व्यवहारी ऐसे माल की खरीद के आवर्त पर इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी हो, वहाँ ऐसे माल की खरीद के संबंध में स्वयं क्रेता व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार को सीधे भुगतान कर दिया गया हो । इन दोनों स्थितियों में इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा जो धारा 13 की विभिन्न उपधाराओं के अर्न्तगत उक्त माल की बिक्री होने के पश्चात् अनुमन्य है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली 2008 के नियम 21(1)(ख) में यह प्राविधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 या उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अर्न्तगत बिना कर अदा की गई खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य नहीं होगा । इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमन्यता/ गणना/दावा के संबंध में धारा 13(1), धारा 13(4), धारा 15(1), धारा 15(2) का स्पष्टीकरण, नियम 21(1)(ख) एवं नियम 24 (ई) में प्राविधान किये गये हैं । इन प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र संख्या-विधि-4(1)-परिपत्र भाग-2-(10-11) 1318/1011052/ वाणिज्य कर दिनांक 14-10-2010 के संबंध में निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जा रही है :-

उक्त परिपत्र के प्रस्तर-4, 5 एवं 6 के स्थान पर निम्न प्रस्तर प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं :-

4- प्रत्येक टैक्स पीरियड के लिए 30प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-4 के अन्तर्गत देय कर तथा धारा-5 के अन्तर्गत पंजीकृत से भिन्न व्यक्ति से की गयी खरीद पर देय कर को इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि में से समायोजित किया जा सकता है। उसके बाद यदि कोई देय कर की धनराशि अवशेष रहती है तो उसे व्यापारी को जमा करना होगा।

5- परिपत्र पत्र संख्या-वैट अनुभाग-प्रचार प्रसार/07-08/666/ वाणिज्य कर दिनांक 10 मार्च,2008 एवं पत्र संख्या-विधि-4(1)-परिपत्र भाग-2-(10-11) 1318/1011052/ वाणिज्य कर दिनांक 14-10-2010 को उपरोक्तानुसार संशोधित समझा जाए।

तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


(चन्द्रभानु)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्र0प्र0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, 30प्र0
- (5) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, 30प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (6) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (वि0अनु0शा0/अपील/कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (11) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू ऑडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (15) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमि0/ असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्यग्राजियाबाद।
- (16) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 / ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर / डिप्टी 0 कमि0 / असि0 कमि0 (30न्या0कार्य0) लखनऊ / इलाहाबाद।
- (17) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियों में।
- (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (19) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 185/293 अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
- (21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ।
- (27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (29) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।

- (30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्डो निराला नगर, लखनऊ ।
- (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वा0 कमि0 (कार्य0)के माध्यम से ।
- (32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (33) शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महा सचिव, उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर
- (34) श्री मदन मोहन भारतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहना रोड कानपुर ।
- (35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुंजगली, चौक, वाराणसी ।
- (40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर ।
- (41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0), पुलवाल मण्डी सहारनपुर ।
- (43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (46) इन्डियन इण्डोएसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
- (47) संयोजक, टैक्सेशियों एक्जैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो. वेस्टर्न यू0पी0, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर ।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी0-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ)
- (55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ ।
- (57) श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ0 बी0एन0रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल मण्डल कैम्प कार्या0 इमलीवलानोटरा सादाबाद गेट, हाथरस
- (61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
- (63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाऊस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशिंग, आर0डी0सी0-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (67) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(पदम कुमार)

एडीशनल कमिश्नर कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।